



प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक

मुख्य कार्यालय : रामगंगा विहार फेज-2,
मुरादाबाद- 244001 (उ.प्र.)

क्षेत्रीय कार्यालय :
रामगंगा विहार, फेज-2, मुरादाबाद

सावर्जनिक नीलामी द्वारा सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार) (नियम 8 (6) के अधीन)

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार) (नियम 8 (6) के तहत, यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 13(2) एवं सहपटित नियमों के अंतर्गत ऋणकर्ता एवं सहअनुबन्धियों को उनके सम्मुख अंकित तिथियों को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अंदर मांग सूचना पत्र में वर्णित धनराशि अदा करने की मांग की थी। ऋणी / सहअनुबन्धियों / बंधककर्ताओं द्वारा उपरोक्त समय अवधि में उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) एवं सहपटित नियम (8) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न वर्णित अनेक सम्मुख अंकित तिथियों में बंधक सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया। इस पर भी ऋणी / सहअनुबन्धियों / बंधककर्ताओं द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण बैंक में बंधक अवल सम्पत्ति को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा। अतः इच्छुक व्यक्तियों को नीलामी में सम्मिलित होने हेतु आमन्त्रित किया जाता है।

शाखा : मझोला, लाइनपार, मुरादाबाद

क्र. सं.	ऋणी/सहअनुबन्धियों का विवरण	बंधक अवल सम्पत्ति एवं बंधक कर्ताओं का विवरण	मांग सूचना अनुसार देय राशि/ मांग सूचना की तिथि/ कब्जे की स्थिति व तिथि	न्यूनतम आरक्षित मूल्य/घरोहर राशि/घरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि व समय नीलामी का स्थान
1.	1. मैसर्स दीपक सरिया सीमेंट स्टोर, फर्म स्वामी :- श्री दीपक सक्सेना पुत्र श्री अनिल कुमार सक्सेना (ऋणकर्ता) निवासी : गली नम्बर- 5, मोहल्ला गोविन्द नगर, लंका बाग, निकट रेम्बो किड्स प्ले स्कूल, मुरादाबाद। 2. श्रीमती अनीता सक्सेना पत्नी श्री अनिल कुमार सक्सेना (सहअनुबन्धी एवं बन्धककर्ता), 3. श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री रंजीत सिंह (सहअनुबन्धी)। खाता संख्या : 84208535911536	रिहायशी सम्पत्ति गाटा संख्या- 57 वाके मौजा सिहोरा गोविन्द बैरुन चुंगी कटपर, परगना व जिला मुरादाबाद स्थित है गली नंबर- 5, मोहल्ला गोविन्द नगर, लंका बाग, निकट रेम्बो किड्स प्ले स्कूल, वार्ड नंबर- 19 (पुराना वार्ड नंबर- 10), मुरादाबाद। जिसका क्षेत्रफल- 158 वर्ग मी०। नामित है श्रीमती अनीता सक्सेना पत्नी श्री अनिल कुमार सक्सेना निवासी : गली नम्बर- 5, मोहल्ला गोविन्द नगर, लंका बाग, निकट रेम्बो किड्स प्ले स्कूल, मुरादाबाद, सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ :- पूर्व - सम्पत्ति ओमप्रकाश आदि वर्तमान में कमल सैनी का मकान, पश्चिम- रास्ता 12 फीट चौड़ा, उत्तर- रास्ता 10 फीट चौड़ा, दक्षिण- सम्पत्ति ऋषिराज आदि वर्तमान में राजबहादुर वर्मा का मकान।	रु. 21,04,892 /- दि. 11.07.2017 तक + ब्याज व अन्य खर्चे मांग सूचना- 11.07.2017	रु. 23,50,000 /- रु. 2,35,000 /- दिनांक 08.02.2024 नीलामी से पूर्व	08.02.2024 अप. 3.00 से अप. 4.00 बजे तक प्रथमा यू० पी० ग्रामीण बैंक परिसर, शाखा मझोला, लाइनपार, मुरादाबाद
2.	1. श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा (मृतक) पुत्र श्री चित्त स्वरूप शर्मा (ऋणकर्ता एवं बंधककर्ता) द्वारा विधिक वारिसानगण :- 1. श्रीमती शालिनी शर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा, 2. श्री यश शर्मा (नाबालिग) पुत्र स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा नैसर्गिक संरक्षक श्रीमती शालिनी शर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा, 3. श्री कुपाल शर्मा (नाबालिग) पुत्र स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा नैसर्गिक संरक्षक श्रीमती शालिनी शर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा, निवासीगण : प्रीत विहार कालोनी, निकट सुमनलता स्कूल, खुशहालपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। खाता संख्या : 8420NC30910092 (PHL) में सहअनुबन्धी :- 2. श्री पुष्पेन्द्र शर्मा पुत्र श्री चित्त स्वरूप शर्मा (सहअनुबन्धी) 3. श्री सौरभ शर्मा पुत्र श्री मुनिराम शर्मा (सहअनुबन्धी) खाता संख्या : 84208731513357 (PRCC) में सहअनुबन्धी :- 4. श्री अखिलेश शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा (सहअनुबन्धी), 5. श्रीमती शांति शर्मा पत्नी श्री अखिलेश शर्मा	एक भूखण्ड वर्तमान में रिहायशी मकान बाबत गाटा संख्या- 590 वाके मौजा शाहपुर तिगरी, मुरादाबाद, परगना व जिला मुरादाबाद स्थित है मोह० बैंक कालोनी, (खुशहालपुर) मुरादाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद। जिसका क्षेत्रफल- 43.86 वर्ग मी०। नामित है श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा (मृतक) पुत्र श्री चित्त स्वरूप शर्मा विधिक वारिसानगण :- 1. श्रीमती शालिनी शर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा, 2. श्री यश शर्मा (नाबालिग) पुत्र श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा नैसर्गिक संरक्षक श्रीमती शालिनी शर्मा, 3. श्री कुपाल शर्मा (नाबालिग) पुत्र श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा नैसर्गिक संरक्षक श्रीमती शालिनी शर्मा निवासीगण : प्रीत विहार कालोनी, निकट सुमनलता स्कूल, खुशहालपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ :- पूर्व - भूखण्ड लक्ष्मी अग्रवाल, पश्चिम- सम्पत्ति विक्रेता, उत्तर- सम्पत्ति विक्रेता, दक्षिण- रास्ता 3.66 मीटर चौड़ा।	रु. 11,97,339 /- दि. 08.02.2018 तक + ब्याज व अन्य खर्चे मांग सूचना- 08.02.2018	रु. 11,50,000 /- रु. 1,15,000 /- दिनांक 08.02.2024 नीलामी से पूर्व	08.02.2024 अप. 3.00 से अप. 4.00 बजे तक प्रथमा यू० पी० ग्रामीण बैंक परिसर, शाखा मझोला, लाइनपार, मुरादाबाद
3.	खाता संख्या : 84208532261443 के अनुसार :- 1. श्री राममरोसे शर्मा पुत्र श्री नंदन प्रसाद शर्मा (ऋणकर्ता एवं बंधककर्ता) निवासी : गली नं.-4, प्रेमनगर, लाइनपार, मुरादाबाद वर्तमान निवासी- गली नं.-3, हनुमान नगर कॉलोनी, चेरमैन हाउस के पीछे, निकट रामलीला मैदान, लाइनपार, मुरादाबाद। 2. श्रीमती आरती शर्मा पत्नी श्री राममरोसे शर्मा (सहअनुबन्धी एवं बन्धककर्ता) 3. श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर दयाल शर्मा (सहअनुबन्धी) खाता संख्या : 84208739204997 के अनुसार :- 1. मैसर्स आरती इलेक्ट्रिकल्स, प्रोप्राइटर:- श्रीमती आरती शर्मा पत्नी श्री राममरोसे शर्मा निवासी: रामनगर कॉलोनी, निकट रामलीला मैदान, लाइनपार, मुरादाबाद वर्तमान निवासी- गली नं.-3, हनुमान नगर कॉलोनी, चेरमैन हाउस के पीछे, निकट रामलीला मैदान, लाइनपार, मुरादाबाद 2. श्री राममरोसे शर्मा पुत्र श्री नंदन प्रसाद शर्मा (सहअनुबन्धी एवं बन्धककर्ता), 3. श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर दयाल शर्मा (सहअनुबन्धी)	1- एक सम्पत्ति जिसका खसरा नं. 521क है बांके मौजा ग्राम मझोला, मुरादाबाद, स्थित है मोह० हनुमान नगर, चेरमैन हाउस के पीछे, मुरादाबाद। क्षेत्रफल- 115.93 वर्ग मी०। सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ :- पूर्व - आराजी मुक्ति, पश्चिम- भूखण्ड जीतेन्द्र कुमार, उत्तर- भूखण्ड चन्द्र महेश, दक्षिण- रास्ता 6 फीट चौड़ा। 2- एक सम्पत्ति जिसका खसरा नं. 521क है बांके मौजा ग्राम मझोला, मुरादाबाद, स्थित है मोह० हनुमान नगर, चेरमैन हाउस के पीछे, मुरादाबाद। क्षेत्रफल- 24.591 वर्ग मी०। सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ :- पूर्व - आराजी मुक्ति, पश्चिम- भूखण्ड क्रेता, उत्तर- भूखण्ड चन्द्र महेश, दक्षिण- रास्ता 6 फीट चौड़ा। बंधक सम्पत्ति स्वामी का नाम :- श्री राममरोसे शर्मा पुत्र श्री नंदन प्रसाद शर्मा एवं श्रीमती आरती शर्मा पत्नी श्री राममरोसे शर्मा। दोनों सम्पत्तियों की वर्तमान स्थिति :- वर्तमान में उपरोक्त दोनों सम्पत्तियों पर संयुक्त रूप से एक मकान बना हुआ है। संयुक्त संपत्ति की चतुरसीमाएँ :- पूर्व - आराजी मुक्ति, पश्चिम- भूखंड जीतेन्द्र कुमार, उत्तर- भूखंड चन्द्र महेश, दक्षिण- रास्ता 6 फीट चौड़ा।	रु. 17,70,392 /- दि. 07.02.2018 तक + ब्याज व अन्य खर्चे मांग सूचना- 07.02.2018	रु. 36,00,000 /- रु. 3,60,000 /- दिनांक 08.02.2024 नीलामी से पूर्व	08.02.2024 अप. 3.00 से अप. 4.00 बजे तक प्रथमा यू० पी० ग्रामीण बैंक परिसर, शाखा मझोला, लाइनपार, मुरादाबाद
नीलामी की नियम एवं शर्तें :- 1. नीलामी के समय, बोलीदाता को ईएमडी के लिए ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर / आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करना होगा, जो प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, बोली से पूर्व जमा करना होगा। 2. बोलीदाता को अपना आधार कार्ड / पेन कार्ड साथ लाना होगा। 3. जैसे ही सफल बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाती है उसे उसी दिन नीलामी बोली का 25% (घरोहर राशि समायोजित करते हुए) जमा करना होगा तथा शेष रकम 15 दिनों के अंदर जमा करना होगा अन्यथा पूर्व में जमा की गयी रकम को जब्त कर लिया जाएगा। 4. उपरोक्त सम्पत्तियों को "जैसा है जहां है, जो भी है" के आधार पर विक्रय किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 5. असफल बोलीदाताओं का ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर / आरटीजीएस / एनईएफटी सम्पत्ति की नीलामी के बाद उसी दिन बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। 6. हस्तांतरण से संबंधित व्यय जैसे स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्कों आदि और अन्य सभी विधायी व्यय सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन किए जाएंगे। 7. सम्पत्ति पर सभी सरकारी कर और बकायों की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। 8. अन्य जानकारी के लिए, किसी भी कार्य दिवस पर प्रथमा यू. पी. ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा से सम्पर्क करें। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी और बोलीदाताओं को पांच हजार (5,000) के गुणकों में अपनी बोली में सुधार करना होगा। नीलामी समाप्त हो जाने पर सर्वोच्च बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। 10. यदि ऋणी नीलामी से पूर्व बैंक को सम्पूर्ण धनराशि एवं देय ब्याज अन्य व्यय सहित मुगतान कर देता है तो उपरोक्त खाते में बंधक सम्पत्ति की नीलामी को रद्द कर दिया जाएगा। 11. यह सूचना ऋणी, सहअनुबन्धी एवं बंधककर्ताओं को 30 दिनों की सूचना के रूप में पढ़ा जाए।					

दिनांक : 06.01.2024

स्थान : मुरादाबाद

प्राधिकृत अधिकारी- प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक